

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर (म०प्र०)

(स्थानीय निर्वाचन)

दूरभाष एवं फ़ैक्स 0751-2446220, E-mail-deogwaliorle@gmail.com

क्रमांक क्यू./स्था.निर्वा./11-24/145 /2014

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,  
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,  
कलेक्ट्रेट ग्वालियर

विषय:

त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15- के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अदेय प्रमाण-पत्र के प्ररूप के संबंध में।

००००

त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा नाम-निर्देशन के संलग्न प्रस्तुत किये जाने वाले अदेय प्रमाण-पत्रों के प्ररूप संलग्न प्रेषित है। जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये अदेय प्रमाण-पत्रों के प्ररूप को ग्वालियर जिले की वेबसाईट [www.gwalior.nic.in](http://www.gwalior.nic.in) पर अपलोड किया जाना कृपया सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अनुराग सक्सेना)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला ग्वालियर(म०प्र०)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

पृ. क्रमांक क्यू./स्था.निर्वा./11-24/145/2014

प्रतिलिपि:-

- (1) रिटर्निंग आफिसर, जनपद पंचायत, मुरार, घाटीगाँव, डबरा एवं भितरवार।
- (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरार, घाटीगाँव, डबरा एवं भितरवार।
- (3) अपर संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग ग्वालियर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (4) स्टेनो टू कलेक्टर ग्वालियर। कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला ग्वालियर(म०प्र०)

कार्यालय विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी.....

### अदेय प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36(1)(गघ) के परिपेक्ष्य में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री / श्रीमती.....

पिता / पति.....

पूर्ण पता.....

को दिये गये कंपनी के समस्त विद्युत कनेक्शनों पर दिनांक .....की

स्थिति में बकाया राशि निरंक है।

दिनांक :

विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी  
म.प्र.मध्य / पूर्व / पश्चिम क्षेत्र वि. वि. कं लिमिटेड  
(सील)

कार्यालय जिला पंचायत.....

## अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम.....  
द्वारा जिला पंचायत के अर्न्तगत देय निम्न शोध्यों के अर्न्तगत देय राशि का भुगतान किया जा  
चुका है-

- (क) पंचायत द्वारा दिए गये किसी प्रकार के पट्टे की बकाया राशि,
- (ख) पंचायत की कोई संपत्ति जो संबंधित द्वारा किरायेनामा के आधार पर ली गई हो की  
बकाया राशि,
- (ग) पंचायत निधि की राशि या किसी योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी  
गई अग्रिम राशि,

उपरोक्तानुसार मद क्रमांक (क) से मद क्रमांक (ग) तक में दर्शायी राशि जमा कराई जा चुकी  
है अब इन पर कोई बकाया राशि नहीं है।

यह प्रमाण पत्र म.प्र.पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 के  
प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए जारी किया जा रहा है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत.....  
(पंचायत की सील)

कार्यालय जनपद पंचायत.....

अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम.....  
द्वारा जनपद पंचायत के अर्न्तगत देय निम्न शोध्यों के अर्न्तगत देय राशि का भुगतान किया जा  
चुका है-

- (क) पंचायत द्वारा अधिरोपित करो की शोध्य राशि
- (ख) पंचायत द्वारा दिए गये किसी प्रकार के पट्टे की बकाया राशि, या फीस की राशि
- (ग) पंचायत की कोई संपत्ति जो संबंधित द्वारा किरायेनामा के आधार पर ली गई हो की बकाया राशि,
- (घ) पंचायत निधि की राशि या किसी योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गई अग्रिम राशि,

उपरोक्तानुसार मद क्रमांक (क) से मद क्रमांक (घ) तक में दर्शायी राशि जमा कराई जा चुकी है अब इन पर कोई बकाया राशि नहीं है।

यह प्रमाण पत्र म.प्र.पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए जारी किया जा रहा है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत.....  
(पंचायत की सील)

कार्यालय ग्राम पंचायत.....

अदेय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम.....  
द्वारा ग्राम पंचायत के अर्न्तगत देय निम्न शोध्यों के अर्न्तगत देय राशि का भुगतान किया जा  
चुका है-

- (क) पंचायत द्वारा अधिरोपित करो की शोध्य राशि
- (ख) पंचायत द्वारा दिए गये किसी प्रकार के पट्टे की बकाया राशि, या फीस की राशि
- (ग) पंचायत की कोई संपत्ति जो संबंधित द्वारा किरायेनामा के आधार पर ली गई हो की बकाया राशि,
- (घ) पंचायत निधि की राशि या किसी योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गई अग्रिम राशि,

उपरोक्तानुसार मद क्रमांक (क) से मद क्रमांक (घ) तक में दर्शायी राशि जमा कराई जा चुकी है अब इन पर कोई बकाया राशि नहीं है।

यह प्रमाण पत्र म.प्र.पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए जारी किया जा रहा है।

सचिव,

ग्राम पंचायत.....  
(पंचायत की सील)